

प्रपत्र ‘ख’

लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरणों अथवा विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण (Surrender) रद्द करने के लिए आवेदन-पत्र (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (धारा-9) तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 (कंडिका 3 का उपकंडिका 13, 14 तथा कंडिका 4 उपकंडिका 7, 8, 9 द्रष्टव्य)

- | | |
|--|--|
| 1. आवेदक का नाम : | |
| 2. आधार / EID No. : | |
| 3. मोबाइल नं० : | |
| 4. आवेदक के पति/पिता का नाम : | |
| 5. पूर्ण आवासीय पता : | |
| 6. विद्यमान राशन कार्ड की सं० : | |
| 7. सम्बद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञाप्ति संख्या : | |
| 8. विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण का कारण | |
| (क) निवास में परिवर्तन : | |
| (ख) जन्म या मृत्यु : | |
| (ग) कार्ड में वर्णित ब्योरो में अशुद्धियाँ : | |
| (घ) अन्य कारण : | |

10. विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण/रद्द करने का कारण :-

(क) ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक प्रास्तिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हाँ/नहीं, पर टिक लगावें :

- मोटर चालित तिपहिया/चार पहिया वाहन है,
- मशीन चालित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण हैं,
- सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी हैं,
- परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000/- रु० से अधिक है,
- आयकर देते हैं,
- व्यावसायिक कर का भुगतान करते हैं,
- जिस मकान में रहते हैं, उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारें और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरा है,
- परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है,
- दो अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है,
- कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी है,
- आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, अगर है, तो उसका विवरण :-

- किस सेवा में है -
- कहाँ पदस्थापित है -
- कितना मासिक आमदनी है -

(ख) शहरी क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक प्रास्तिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हाँ/नहीं, पर टिक लगावें :-

- आयकर अदा करते हैं,
- आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग क, वर्ग ख, वर्ग ग एवं वर्ग घ श्रेणी के सरकारी सेवा (अनु० जाति/अनु० जनजाति के समूह 'घ' के कर्मी को छोड़कर) में है, अगर है, तो उसका विवरण :-

 - किस सेवा में है -
 - कहाँ पदस्थापित है -
 - कितना मासिक आमदनी है -

- व्यवसायिक कर अदा करते हैं,
- तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है,
- परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000/- रु० से अधिक है,
- दो भिया वाहन, रेफ्रीजरेटर तथा वाशिंग मशीन तीनों उपकरण हैं,
- गृहस्थी में चार भिया वाहन हैं,
- गृहस्थी में वाशिंग मशीन है,

उपरोक्त कंडिका के अनुसार विद्यमान राशन कार्ड में आवश्यक उपांतरण किया जाय/कंडिका के अनुसार पत्र गृहस्थितियों हेतु मानक मानदंड से बाहर हो जाने के कारण विद्यमान राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाय (राशन कार्ड संलग्न)

दिनांक
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

घोषणा

महोदया/महोदय

मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन-पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियाँ सही हैं। अगर आवेदन-पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं दंडात्मक/कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा।

दिनांक
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

सामान्य निर्देश

1. आवेदन-पत्र केवल एक ही प्रति आवेदक द्वारा भरी जायेगी ।
2. किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक पार्टी द्वारा तादाद में प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किये जाएँगे ।
3. अपूर्ण आवेदन-पत्र को रद्द कर दिया जायेगा ।
4. अहस्ताक्षरित या बिना अंगठे के निशान के आवेदन-पत्र को रद्द कर दिया जायेगा ।
5. हस्तालिखित, टाईप किये गये, फोटो कॉपी किये गये या एन.आई.सी. की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र भी स्वीकार किये जायेंगे, बशर्ते कि इस प्रकार के प्रपत्र निर्धारित प्रपत्र के समरूप होने चाहिए ।
6. सभी आवेदन पत्र RTPS के माध्यम से लिये जायेंगे ।
7. सरकारी सेवा से तात्पर्य है केन्द्र एवं राज्य सरकार, लोक उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं स्वशासी में नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मी की सेवा ।
8. RTPS के तहत पात्र गृहस्थी द्वारा राशन कार्ड का आवेदन-पत्र संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा ।
9. अनुमंडल, पदाधिकारी द्वारा RTPS के तहत राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र को एक सप्ताह के अन्दर संबंधित क्षेत्र के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भेजा जायेगा । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को जाँच कराकर 15 दिनों के अन्दर अनुमंडल पदाधिकारी को वापस किया जायेगा ।
10. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र को स्वीकृत किया जाता है तो राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा ।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	विभाग का. नाम/ सेवा का नाम	नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा	अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निषादन हेतु सीमा	एनविलोकन प्राधिकार	द्वितीय अपील के निषादन हेतु समय सीमा
1.	2	3	4	5	6	7	8
	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग । (i) नये राशन कार्ड का निर्गमन खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।	अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल	30 कार्य दिवस 30 कार्य	जिला पदाधिकारी जिला	21 कार्य दिवस 21 कार्य	प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय	15 कार्य दिवस 15 कार्य
	(ii) राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/नामजोड़ना/नाम हटना) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।	पदाधिकारी	दिवस	पदाधिकारी	दिवस	आयुक्त	दिवस
	(iii) राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/रद्दीकरण	अनुमंडल	30 कार्य	जिला	21 कार्य	प्रमण्डलीय	15 कार्य
		पदाधिकारी	दिवस	पदाधिकारी	दिवस	आयुक्त	दिवस

‘परिशिष्ट-II

**सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक कागजात
(चेक लिस्ट)**

सेवा का नाम	चेक लिस्ट
1. नये राशन कार्ड का निर्गमन	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन-पत्र विभागीय प्रपत्र 'क' में । 2. आधार कार्ड का छायाप्रति । 3. बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, जिसपर खाताधारी का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक का IFSC Code रहता है । 4. आवासीय प्रमाण-पत्र 5. विभागीय आवेदन-पत्र प्रपत्र 'क' के क्रमांक 10 अथवा 11 जो लागू हो, के संबंध में शपथ-पत्र । 6. सम्पूर्ण परिवार का तीन फोटोग्राफ ।
2. राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन, नाम जोड़ना, नाम हटना)	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन-पत्र विभागीय प्रपत्र 'ख' में । 2. व्यक्ति, जिसका नाम जोड़ा जाना है, के आधार कार्ड की छाया प्रति । 3. विभागीय आवेदन-पत्र 'ख' के क्रमांक 8 एवं 9 के संबंध में लागू कारण के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, यथा :- <ul style="list-style-type: none"> i. निवास में परिवर्तन हेतु आवासीय प्रमाण-पत्र ii. जन्म/मृत्यु का प्रमाण-पत्र iii. राशन कार्ड में वर्णित अशुद्धियाँ जिनको शुद्ध किया जाना है, के लिए सरकारी प्रमाण-पत्र (सरकारी विद्यालय का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई० कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड आदि) ।
3. राशन कार्ड का प्रत्यर्पण (Surrender)/रद्दीकरण	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र 'ख' में । 2. विद्यमान राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/रद्द करने के लिए आवेदन पत्र के क्रमांक 10 के संबंध में लागू कारण की छायाप्रति ।